न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 45/2006(जी.सी.एम.एस.2006/00005)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. संता सिंह पुत्र शेर सिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ हाल आबाद 8 एस एम तहसील घडसाना(मृतक) 1/1. संतो पत्नी संता सिंह जाति बावरी निवासी 8 एस एम तहसील घडसाना। 1/2. नानक सिंह पुत्र संता सिंह जाति बावरी निवासी 8 एस एम तहसील घडसाना। 1/3. तारा सिंह पुत्र संता सिंह जाति बावरी निवासी 8 एस एम तहसील घडसाना। 1/4. ज्ञानी सिंह पुत्र संता सिंह जाति बावरी निवासी 8 एस एम तहसील घडसाना। 1/5. रामी पुत्री संता सिंह पत्नी गुरचरण सिंह जाति बावरी निवासी 22 पी टी डी तहसील रायसिंहनगर। 1/6. गुरनामों पुत्री संता सिंह पत्नी भजन सिंह जाति बावरी निवासी 6 पी टी डी तहसील रायसिंहनगर। 1/7. मुखत्यारो पुत्री संता सिंह पत्नी दरबारा सिंह जाति बावरी निवासी 7 एफ डी तहसील रायसिंहनगर(मृतक) 1/8. गुडी पुत्री संता सिंह पत्नी रिछपाला सिंह जाति बावरी निवासी 365 हैड तहसील घडसाना। 1/9. कमालो उर्फ शमो पुत्री संता सिंह पत्नी उजागर सिंह जाति बावरी निवासी खिचिंया 3 जे जे तहसील पदमपुर। 2. बूटा सिंह पुत्र शेर सिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ हाल आबाद 1 जी एम तहसील घडसाना।		1. मोहन सिंह पुत्र शेर सिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1. मैना पत्नी मोहन सिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 1/2. छिन्द्र कौर पुत्री मोहन सिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 1/3. विल्लो पुत्री मोहन सिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 1/4. महेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति बावरी निवासी 5 एस पी बी तहसील विजयनगर। 1/5. जिन्दी उर्फ जिन्द्रपाल पुत्र मोहन सिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 1/6. लडू पुत्र मोहन सिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. ज्ञान कौर पुत्री शेर सिंह पत्नी बलवीर सिंह जाति बावरी निवासी 66 एलएनपी तहसील रायसिंहनगर। 3. भजनो पुत्री शेर सिंह जाति बावरी निवासी 66 एलएनपी तहसील रायसिंहनगर। 4. नंद कौर पुत्री शेर सिंह पत्नी सम्पूर्ण सिंह जाति बावरी निवासी 6 बी डी तहसील खाजूवाला। 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

तारीख रजू:- 17.04.2006

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
3. श्री रमेश चन्द गुप्ता अधिवक्ता प्रतिवादीगण

--निर्णय-- **दिनांक :03.03.2025**

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 2064 के खाता संख्या 65/63 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 2.783 हैक्टेयर भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1, महेन्द्र कौर के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। महेन्द्र कौर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की माता थी। जिसका देहान्त हो चुका हैं। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 उतराधिकारी है। महेन्द्र कौर ने अपने जीवनकाल में दिनांक 24.01.1987 को वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 के हक में पंजीकृत वसीयत निष्पादित की हुई है। इसलिए वसीयत की रूह से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कौर के हिस्सा के बहिस्सा बराबर मालिक हो चुके है। जो अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से विवादित भूमि का घरू बंटवारा कर रखा है। उक्त घरू बंटवारा के अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 अपनी-अपनी भूमि की काश्त करवा रहे है। वादीगण अपने हिस्सा की भूमि ठेका पर काश्त करवाते है। वादीगण ने पिछले 2 वर्ष पूर्व अपने हिस्सा एंव कब्जाशुदा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को ठेका पर काश्त करने हेतु दी थी, जिसका ठेका दो वर्ष का 40000 रुपए था, जो प्रतिवादी संख्या 1 ने अकाल का कारण बताते हुए आगे देने के लिए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

कहा था। वादीगण ने अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर दो रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि जो वादीगण के हिस्सा की है, छोडने बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के हिस्सा की भूमि छोडने से साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ. नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 2064 के खाता संख्या 65/63 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 2.783 हैक्टेयर भूमि में महेन्द्र कौर के नाम दर्ज भूमि को वसीयत दिनांक 24.11.1987 की रूह से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावे व उक्त भूमि का घरू बंटवारानामा के अनुसार अलग से खाता कायम किया जावे।

2- वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब दावा पेश करने पर तनकीयात कायम की गई तथा प्रकरण में साक्ष्यवादी व साक्ष्यप्रतिवादी ली जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.05.2009 द्वारा वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 62 एफ के खाता संख्या 65/63 के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 8 ता 17 के 10 बीघा व 19 का 1 बीघा कुल 11 बीघा भूमि में महेन्द्र कौर के नाम दर्ज हिस्सा का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार विभाजन की डिक्री जारी की गई।

3- न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.05.2009 के विरूद्व प्रतिवादी मोहन सिंह के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की गई। श्रीमान् जी के द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.05.2014 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.05.2001 को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि मृतक महेन्द्र कौर के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर, प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

4- प्रकरण न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर महेन्द्र कौर के शेष वारिसान को प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 के रूप में संयोजित किया गया। वादी संख्या 1 संता सिंह के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। संशोधित शीर्षक सामिल मिसल किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द गुप्ता उपस्थित आए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को बतौर प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द गुप्ता उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाकर हम प्रतिवादीगण को चक 62 एफ के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 8 ता 17, किला नम्बर 19 प्रत्येक सालम-सालम कुल 11 बीघा भूमि का बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

5- हमने प्रकरण मे निम्नलिखित संशोधित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादीगण तहसील श्रीकरणपुर के चक 62 एफ के खाता संख्या 65/63 में महेन्द्र कौर के नाम दर्ज हिस्से की वसीयत दिनांक 24.11.1987 की रूह से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित होने के अधिकारी है? -जिम्मे वादीगण-

(ii)आया कि क्या वादीगण घरू बंटवारानुसार भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है? -जिम्मे वादीगण-

(iii)आया कि क्या वादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत झूठी व फर्जी है? -जिम्मे प्रतिवादीगण-

(iv)अनुतोष।

(v)आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 चक 62 एफ के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 8 ता 17, 19 कुल 11 बीघों में से बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?

वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 64 के खाता संख्या 65/63 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-2ए वसीयतनामा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दिनांक 24.01.1987 की छायाप्रति प्रदर्शित करवाए व स्वंय सन्ता सिंह व बूटा सिंह के साक्ष्य शपथपत्र सामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के समर्थन में प्रदर्श 1 ए 1 बंटवारानामा दिनांक 11.03.1999 की छायाप्रति प्रदर्शित करवाई व स्वंय मोहन सिंह, लडडू उर्फ सुन्दर सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र जो सामिल मिसल है।

6- हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i):आया कि क्या वादीगण तहसील श्रीकरणपुर के चक 62 एफ के खाता संख्या 65/63 में महेन्द्र कौर के नाम दर्ज हिस्से की वसीयत दिनांक 24.11.1987 की रूह से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श- 1 चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 64 के खाता संख्या 65/63 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 2.763 हैक्टेयर भूमि संता सिंह, मोहन सिंह पिसरान शेर सिंह, महेन्द्र कौर बेवा शेर सिंह बहिस्सा बराबर कौम बावरी साकिन देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श-2ए वसीयतनामा दिनांक 24.01.1987 के अनुसार महेन्द्र कौर बेवा शेर सिंह के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि तीनों लडके संता सिंह, बूटा सिंह, मोहन सिंह के पक्ष में की गई है। यह वसीयत उप पंजीयक श्रीकरणपुर से पंजीबद्व है। इसके अतिरिक्त शेर सिंह की पुत्रियों के द्वारा उनके नाम प्राप्त हिस्सा की दस्तबरदारी अपने तीनों भाईयों के नाम से कर दी गई। लिहाजा वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 वसीयत दिनांक 24.01.1987 के अनुसार बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। अतः वादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि क्या वादीगण घरू बंटवारानुसार भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 में विवेचन किया जा चुका है कि वादीगण वादगत भूमि के जरिए वसीयत खातेदार है तथा प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार भी भूमि के सहखातेदार है। अतः वादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (iii) आया कि क्या वादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत झूठी व फर्जी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी के संबध में कोई भी दस्तावेजात साक्ष्य पेश नहीं किया है। जिससे यह सिद्व हो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत झूठी एंव फर्जी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 24.01.1987 उप पंजीयक श्रीकरणपुर से पंजीबद्व दस्तावेज है। जिसको झूठा व फर्जी करार नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

(v) आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 चक 62 एफ के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 8 ता 17, 19 कुल 11 बीघों में से बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 में विवेचन किया जा चुका है कि वादीगण वादगत भूमि के जरिए वसीयत खातेदार है तथा प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार भी भूमि के सहखातेदार है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 चक 62 एफ के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 8 ता 17, 19 कुल 11 बीघों में से बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित होने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

(iv) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1, 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण व तनकी संख्या 3, 5 विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

7- अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादीगण वादपत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/6 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ. नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 2064 के खाता संख्या 65/63 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 2.783 हैक्टेयर भूमि में से महेन्द्र कौर के नाम दर्ज 0.695 हैक्टेयर भूमि का वसीयत दिनांक 24.01.1987 की रूह से वादी संख्या 1/1 ता 1/9 को 1/3 बहिस्सा बराबर भूमि का, वादी संख्या 2 बूटा सिंह को 1/3 हिस्सा भूमि का, व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 को 1/3 बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सन्ता सिंह आदि बनाम मोहन सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **88, 53 आरटीए** मुकदमा नम्बर **45/2006**

निर्णय दिनांक :-03.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री रमेश चन्द गुप्ता के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण वादपत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/6 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर राजस्व ग्राम 62 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 2064 के खाता संख्या 65/63 के मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 2.783 हैक्टेयर भूमि में से महेन्द्र कौर के नाम दर्ज 0.695 हैक्टेयर भूमि का वसीयत दिनांक 24.01.1987 की रूह से वादी संख्या 1/1 ता 1/9 को 1/3 बहिस्सा बराबर भूमि का, वादी संख्या 2 बूटा सिंह को 1/3 हिस्सा भूमि का, व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 को 1/3 बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 03.03.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 03.03.2025

क्रमांक: रीडर/ 2025/134

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर